निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 अग्रहायण 1937 (श0)

(सं0 पटना 1301) पटना, बुधवार, 2 दिसम्बर 2015

सं0 वि0(27) पे0 को0-72/2009(अंश)-1362/वि0,
वित्त विभाग

प्रेषक,

एच.आर.श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

विषय :- पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलित प्रपत्रों के सरलीकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रचलित प्रपत्रों के सरलीकरण/संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी । महालेखाकार, बिहार द्वारा भी पेंशन प्रपत्र के आवेदन पत्र के द्विभाषीकरण (हिन्दी एवं अँग्रेजी) एवं सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के मोबाईल नं0 आदि की प्रविष्टी करने सम्बन्धी सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रचलित पेंशन प्रपत्रों यथा पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान/पेंशन रूपांतरण के लिए आवेदन-पत्र (बिहार पेंशन नियमावली के नियम-193, 194 एवं 199), पेंशन और परिवार पेंशन की गणना तालिका (संकल्प सं0-11556 दिनांक 22.12.1999), पेंशन मंजूरी हेतु प्रपत्र (ज्ञाप सं0-642 दिनांक 14.1.1964 एवं ज्ञापांक-659 दिनांक 31.7.2009) इत्यादि में संशोधन/सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त संशोधित/सरलीकृत पेंशन प्रपत्रों की प्रति (पेंशन प्रपत्र, फोटोग्राफ प्रपत्र, घोषणा-पत्र, पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान की गणना तालिका/पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपदान, पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति का कार्य तथा महालेखाकार का प्रमाण-पत्र एवं रिपोर्ट) संलग्न करते हुए

कहना है कि यह परिपत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा । भविष्य में सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों को सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु इस सरलीकृत फार्म का ही प्रयोग किया जायेगा ।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
एच.आर.श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन) ।

पेंशन प्रपत्र

पेंशन/परिवार पेंशन/ उपादान/ मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपादान/पेंशन रूपांतरण हेतु आवेदन पत्र

1. (i) सरकारी सेवक का नाम (हिन्दी में) रामचंद्र प्रसाद
(ii)Name of Govt. Servant in English (in capital letters) - RAMCHANDRA PRASAD

2. (i) ~~पिता~~/पति का नाम - दशरथ प्रसाद
(ii)Father's/Husband's Name (in capital letters) - DASHARATH PRASAD

3. (i) स्थायी पता- भैरोपुर
ग्राम/मोहल्ला
थाना विदुपुर
डाकघर भैरोपुर
जिला वैशाली
पिनकोड 844102
(ii) Permanent Address(**in capital letters**) -
Vill/Moh.- BHAIROPUR Post-BHAIROPUR P.S.- VIDUPUR
Distt.- VAISHALI
State- BIHAR Pin No.- 844102 Mobile No. 925674430

4. (i) पत्राचार का पता(हिन्दी में)-
ग्राम/मोहल्ला- भैरोपुर डाकघर- भैरोपुर राज्य बिहार
थाना- विदुपुर जिला- वैशाली
पिनकोड- 844102 Mobile No.- 925674430

(ii) **Address for correspondence in English (in capital letters) :**
Vill/Moh.- BHAIROPUR Post- BHAIRUPUR P.S. VIDUPUR Distt.- VAISHALI
State- BIHAR Pin No.- 844102 Mobile No.- 925674430

5. (i) अंतिम पदस्थापन की स्थिति : पदनाम (हिन्दी में)- सहायक शिक्षक
कार्यालय/विभाग का नाम (हिन्दी में)- मुंशी सिंह उच्च विद्यालय, पुपरी, सीतामढ़ी
(ii) Status of last posting: Designation (in English)- Assistant Teacher
Name of Office/department (in English)- Munshi Singh High School, Pupari, Sitamadhi

6. सेवा आरम्भ की तिथि- 18.01.1989

7. (i) सेवा समाप्ति की तिथि- 31.05.2026
x (ii) मृत्यु की तिथि (अगर सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त हुई हो):

8. कुल सेवा अवधि- 37 वर्ष 4 माह 14 दिन
व्यवधान की अवधि- शून्य

9. अंतिम वेतन- 78800

10. औसत वेतन- 78800

11. (i) पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि- 01.06.2026
(ii) औपबंधिक पेंशन का भुगतान किया गया है या नहीं, यदि हाँ तो नहीं
(a) औपबंधिक पेंशन की दर.........
(b) भुगतान की अवधि (दिनांक..... से दिनांक.... तक)
(iii) भुगतान की गई औपबंधिक उपदान की कुल राशि रू0...18,00,000

12. कोषागार का नाम- सिंचाई भवन, पटना
(जहाँ से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं)
13. परिवार पेंशन की दशा में आवेदक का नाम एवं पूरा पता- लागू नहीं
14. मृत सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध- लागू नहीं
15. आवेदक की जन्म तिथि- 01.06.1966
16. ऊँचाई- पाँच फीट सात इंच
17. पहचान चिन्ह- ललाट पर कटे का निशान
18. यदि पेंशन रूपांतरण कराना चाहते हैं तो कितना प्रतिशत- 40%.
19. सरकारी सेवक का मोबाईल नं0.- 9525674430
20. सरकारी सेवक का यूनिक आई.डी. - ABC.
(क) जी.पी.एफ नं0. : ABC
(ख) पैन नं0. : ABC
(ग) आधार नं0. : ABC
(घ) ई-मेल : ABC

21. परिवार के सदस्यों का विवरण-

कमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	विकलांगता की स्थिति (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर)
1.	रामचंद्र प्रसाद	स्वयं	01-06-1966	विवाहित	लागू नहीं
2.	सीता देवी	पत्नी	07.05.1970	विवाहित	लागू नहीं
3.	राकेश कुमार	पुत्र	06.08.1990.	विवाहित	लागू नहीं
4.	अवनि कुमार	पुत्र	04.11.1991	अविवाहित	विकलांग
5.	रश्मी कुमारी	पुत्री	07.04.1993	विवाहित	लागू नहीं
6.	स्वीटी कुमारी	पुत्री	28.04.1996	अविवाहित	
7.					

नोट :- (i) जन्म तिथि की प्रविष्टि कार्यालय प्रधान द्वारा प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर की जाएगी ।

(ii) सरकारी सेवक द्वारा प्रमाणिक साक्ष्य नहीं होने का शपथ पत्र दिया जाता है, उस स्थिति में वित्त विभागीय परिपत्र सं0-549 दिनांक 29.4.15 में अंकित प्रावधानों के आलोक में जन्म तिथि अंकित की जाएगी ।

✓(iii) सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा विकलांग परिवारिक सदस्य जीवकोपार्जन में सक्षम नहीं, का प्रमाण पत्र दिये जाने की स्थिति में ही पेंशन स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा आजीवन पारिवारिक पेंशन अनुमान्य किया जाएगा ।

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रधानाध्यापक
मुंशी सिंह उच्च विद्यालय, पुपरी, सीतामढ़ी

फोटोग्राफ

✓

नोट :– (i) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में संयुक्त फोटोग्राफ । ✓

(ii) मृत सरकारी सेवक की दशा में उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ ।

परिवार के सदस्यों का विवरण-

क्रमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	विकलांगता की स्थिति (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर)
1.	रामचन्द्र प्रसाद	स्वयं	01.06.1966	विवाहित	लागू नहीं
2.	सीता देवी	पत्नी	07.05.1970	विवाहित	लागू नहीं
3.	राकेश कुमार	पुत्र	06.08.1990	विवाहित	लागू नहीं
4.	अवनि कुमार	पुत्र	04.011.1991	अविवाहित	विकलांग
5.	रश्मी कुमारी	पुत्री	07.04.1993	विवाहित	लागू नहीं
6.	स्वीटी कुमारी	पुत्री	28.04.1996	अविवाहित	लागू नहीं
7.					

आवेदक का हस्ताक्षर

सरकारी सेवक (मृत सरकारी सेवक के उत्तराधिकारी) के हस्ताक्षर के तीन नमूने

1. ✓

2. ✓

3. ✓

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

(अभिप्रमाणित करने वाले राजपत्रित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा मुहर)

घोषणा-पत्र

चूँकि...(अग्रिम की स्वीकृति देने वाले सरकारी सेवक का पदनाम) ने पेंशन की राशि सरकार द्वारा नियत करने हेतु आवश्यक जाँच पूरी होने की प्रत्याशा में मुझे औपबंधिक रूप से प्रतिमाह..................रू0 अंक में (...) की राशि की स्वीकृति दी है । मैं एतद् द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि इस अग्रिम को स्वीकार करते हुए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी पेंशन आवश्यक औपबंधिक जाँच पूरी होने पर पुनरीक्षित हो सकती है तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर मैं इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं करूँगा कि मुझे अभी दी जाने वाली औपबंधिक पेंशन उस राशि से अधिक है, जिसका हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ उससे अधिक राशि लौटा दूँगा ।

2. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि अपने सेवा के किसी भाग के संबंध में जो इस आवेदन-पत्र में सम्मिलित है तथा जिसके संबंध में पेंशन और उपादान का दावा इसमें किया गया है, मैंने किसी पेंशन या उपदान के लिए न तो आवेदन दिया हूँ और न इसे प्राप्त किया है तथा इस आवेदन-पत्र और इस पर दिए गए आदेश का हवाला दिए बिना आवेदन नहीं करूँगा ।

3. यदि वेतन एवं भत्ते के अधिक भुगतान के कारण कोई बकाया हो अथवा वेतन दोष संबंधी यात्रा-भत्ता या स्थानान्तरण हेतु यात्रा से संबंधित अग्रिम का बकाया हो अथवा मोटरकार या साईकिल, गृह निर्माण अग्रिम अथवा आवास किराया संबंधी या कोई अन्य बकाया हो जिसकी वसूली मुझसे करनी हो, उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य होऊँगा ।

✓

सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक/
मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम एवं विभाग/कार्यालय

पेंशन/ परिवार पेंशन/ उपादान की गणना - तालिका

1. सेवा निवृत्त/ मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पदनामः- रामचंद्र प्रसाद, सहायक शिक्षक
2. सरकारी सेवक में नियुक्ति की तिथि :- 18.01.1989
3. सेवा निवृत्ति/ मृत्यु की तिथि :- 31.05.2026
4. सेवा की कुल अवधिः- 37 वर्ष 04 माह 14 दिन
5. अन्तिम वेतन :- 78800
6. औसत वेतन :- 78800
7. अनुमान्य पेंशन :- 39400

(i) अंतिम दस महीने की औसत परिलब्धि/अंतिम परिलब्धि(जो लाभकारी हो) x वास्तविक सेवा अवधि (अधिकतम बीस वर्ष)

2x20

(ii) वैसे सरकारी सेवक जो 23.9.2009 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हो :-
औसत परिलब्धि x वास्तविक सेवा अवधि (अधिकतम 33 वर्ष)

2x33

8. परिवार पेंशन :- 23640
साधारण दर (अंतिम वेतन का 30%)
वर्द्धित दर ~~#~~39400.
I. अंतिम वेतन ÷ 2
II. साधारण दर पर परिवार पेंशन x 2
III. पेंशन की राशि
(तीनों में जो कम हो)

9. उपादान की राशिः-

$$\frac{\text{(अंतिम वेतन+महँगाई भत्ता) x छहमाही सेवा की अवधि}}{4}$$ 19,50,300.

10. मृत्यु उपादान :-
(क) एक वर्ष से कम की सेवा - परिलब्धि का दो गुणा
(ख) एक वर्ष से अधिक तथा पाँच से कम - परिलब्धि का छः गुणा
(ग) पाँच वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम परिलब्धि का बारह गुणा
(घ) बीस वर्ष से अधिक -

$$\frac{\text{(अंतिम वेतन+महँगाई भत्ता) x छहमाही सेवा की अवधि}}{2}$$

नोटः- (1) उपादान/ मृत्यु उपादान की अधिकतम राशि रूपये ~~10.00~~ 20 लाख से अधिक नहीं होगी ।
(2) दिनांक 1.04.2007 से पूर्व के मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान के अनिष्पादित मामलों में उपदान 3.5 लाख रूपये की अधिसीमा तक ही अनुमान्य होगा ।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का DPO. Sitamadhi
हस्ताक्षर एवं मुहर ।

पेंशन/परिवार पेंशन/उपादान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपादान/पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति ।

यह समाधान हो जाने के बाद कि श्री/~~श्रीमती/कुमारी~~ रामचंद्र प्रसाद......पदनाम.. सहायक शिक्षक.....की सेवा संतोषजनक रही है, निम्नांकित व्यक्ति को निम्नरूपेण पेंशन परिवार पेंशन/उपादान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपादान/पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति दी जाती हैः-

व्यक्ति का नाम	पता	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	राशि	
रामचंद्र प्रसाद	ग्राम- मेरीपुर, डाकघर- मेरीपुर, थाना- किरपुर, जिला- वैशाली	स्वयं	पेंशन	39,400
सीता देवी	— तदैव —		पारिवारिक पेंशन 1.साधारण दर पर 2.वर्धित दर पर	23,640 39,400
			उपादान/मृत्यु सह-निवृत्ति उपादान	19,50,300
			पेंशन की रूपांतरित राशि	15,49,649

1. पेंशन/परिवार पेंशन आरम्भ होने की तिथि :- 01.06.2026
2. पेंशन की राशि :- 39400
3. परिवार पेंशन की राशि :-
   (क) वर्द्धित दर- रूपये 39400 दिनांक 31.05.2033 तक
   (ख) साधारण दर- रूपये 23640 दिनांक 01.06.2033 से
4. मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपादान की राशि :- 19,50,300.
5. पेंशन रूपांतरण की राशि :- 15,49,649
   रूपये..15,49,649.........(शब्दों में) पंद्रह लाख उनचास हजार छः सौ उनचास.......का रूपांतरित मूल्य रूपये (शब्दों में)...
6. पेंशन/ उपादान/ रूपांतरण की राशि का भुगतान.......15,00,000. सिवाईवाणगर 4205 कोषागार से किया जायेगा ।

7. पेंशन/उपादान की राशि का भुगतान बजट शीर्ष-2071 पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

8. यह स्वीकृति इस शर्त्त के अधीन है कि यदि पेंशन उपादान की राशि (जैसा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो) भविष्य में उस राशि से अधिक पायी जाय जिसका नियम के अधीन पेंशन भोगी हकदार हो तो पेंशनधारी अधिक भुगतान की राशि लौटाने को बाध्य होगा । सम्बन्धित पेंशनभोगी से इस आशय की घोषणा-पत्र संलग्न है ।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर । DPO, Sitamarhi

महालेखाकार का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि (नीचे दी गई अभ्युक्तियों के अध्याधीन) श्री................. ....की अर्हक सेवा.....................वर्ष..............महीना...............दिन सम्यक रूप से प्रमाणित कोटि में है तथा बिहार पेंशन नियमावली..................और बिहार सरकार के वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-5285वि0 दिनांक 26.04.51 की कंडिका-2(ग) तथा बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प संख्या-वि0वी0पी0ए0आर0-12/50, 12548वि0, दिनांक 23 अगस्त,1950 के अधीन अधिक से अधिक.....................रू0 प्रतिमाह तथा......................(अंक में)......... ....रू0 (एक मुश्त) पेंशन/ सेवा उपदान/ परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के रूप में अनुमान्य है । गणना का सत्यापन सम्यक रूप में अनुमान्य है । गणना का सत्यापन सम्यक् रूप से किया गया है । पेंशन या उपादान............... ....पर आदेय है और पेंशन दिनांक.....................से आरम्भ होगी ।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 और 202(i) की ओर ध्यानाकृष्ट किया जाता है । चूँकि आवेदन सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद किया गया है, इसलिए पेंशन आवेदन की तिथि से.......................या सेवा निवृत्ति की तिथि....................से आरम्भ होगी, जैसा कि मंजूरी प्राधिकारी बिहार पेंशन नियमावली 209 के अधीन निर्देश दें ।

(यदि आवश्यक न हो तो इस कंडिका को काट दें)

महालेखाकार, बिहार,
पटना ।

....

जो पदाधिकारी बिहार पेंशन नियमावली के नियम-147 के द्वारा प्राधिकृत अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं, उनके मामले में प्रमाण-पत्र के सामान्य फारम में निम्नलिखित बातें जोड़ दें ।

उन्हेंने तीन वर्ष/............................वर्षो तक.........................के रूप में सेवा की है और वे 1000/-रू0 1500/-रू0...............................के विशेष अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं उनकी सेवा ऐसी रही है कि उनके मामले में रियायत की जा सकती है ।

नोटः- यदि पेंशन प्रदायी सेवा अधिकतम पेंशन के लिए पर्याप्त हो तो प्रमाण-पत्र पर..........वर्षो से अधिक के लिए सम्यक् रूप से प्रमाणित लिख दें (उतना ही वर्ष अंकित करें जितना अधिकतम पेंशन पाने के लिए अपेक्षित है ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1301-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in